# फर्द अहकाम

## न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

**केस संख्या :-** 33/2021

रामखिलाडी **बनाम** सरकार (रामकुवांर पुत्र अमरा)

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 12.08.2021 | तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा रामखिलाडी पुत्र गंगु निवासी हिगोटी का प्रार्थना पत्र ग्राम हिगोटी के खाता संख्या 41, 78, 137 की जमाबन्दी में रामदेव पुत्र अमरा के स्थान पर रामकुवार पुत्र अमरा के स्थान पर रामकुंवार पुत्र अमरा शुद्ध करने का पत्र क्रमांक/भू.अ/21/1105 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा मय दस्तावेज व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ भिजवाया गया जिसे काश्तकारी अधिनियम 136 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट पटवारी हल्का व प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम हिगोटी की जमाबन्दी 2075–78 के खाता संख्या 137, 78, 41 व ग्राम हरिनारायणपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 89 हिगोटी की जमाबन्दी खाता संख्या 89, 45, 44, 40, 90 मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी संख्या 2022 के दस्तावेज सबुत पेश किये गये जिनका परीक्षण किया गया तो मिसल बन्दोबस्त संख्या 2022 में रामकुंवार पुत्र अमरा जाति गुर्जर दर्ज है एवं वर्तमान जमाबन्दी ग्राम हिगोटी के खाता संख्या 89, 45, 44, 40, 90 में भी रामकुंवार पुत्र अमरा सही नाम दर्ज है। जमाबन्दी के खाता संख्या 137, 78, 41 में लिपीकीय भूल से रामेदव पुत्र अमरा गलत दर्ज हो गया जिसे मिसल बन्दोबस्त संख्या 2022 के आधार पर एवं जमाबंदी के खाता संख्या 45, 44, 40, 90 एवं तहसीलदार की रिपोर्ट मन्नी वगैरहा के शपथ पत्र अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर नाम दुरूस्त करना उचित समझते है।<br><br>अतः प्रार्थना पत्र 136 के अनतर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम हिगोटी तहसील कोटखावदा की जमाबन्दी के खाता संख्या 41, 78, 137 में अंकित नाम रामदेव पुत्र अमरा जाति गुर्जर के स्थान पर रामकुंवार पुत्र अमरा जाति गुर्जर शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>चाकसू(जयपुर) | |



Scanned with CamScanner